तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नरेन्द्रराम बेड़ा. बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) सू.अ.अ.अपील सं0 131 / 2023 (ऑनलाईन353673078500846)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी नरेन्द्रराम बेड़ा, निवासी बेड़ों की ढाणी, हरियाढाणा, बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.03.23 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत कमांक042200412312882,07 अप्रेल 2022 को परिवाद दर्ज किया जिसमें आप द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसके कमांक उखअबि / रसद / 2022 / 65 दिनांक 18.05.22 है, उक्त नोटिस की वसूली हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया गया उसके नाम व पते की सूची व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 127 दिनांक 07.08.23 पत्र की प्रति प्राप्त हुई। उक्त पत्र से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को जरिये पत्राक 126 दिनांक 07.08.2023 द्वारा बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जो विलम्ब से दी गई अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.	